पं0ल0मो0शर्मा रा0स्ना0 महाविद्यालय ऋषिकेश (देहरादून)

(स्वायत्तशासी महाविद्यालय)

स्नातक प्रथम सेमेस्टर प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्र0सं0	विवरण	तिथियाँ	
		स्नातक (UG)	स्नातकोत्तर (PG)
1	ऑनलाइन प्रवेश प्रारम्भ की तिथि	15.05.2019	01.07.2019
2	ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	10.06.2019	13.07.2019
3	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	20.06.2019	15.07.2019
4	प्रथम वरीयता सूची जारी होने की तिथि	06.07.2019	16.07.2019
5	काउंसिलिंग प्रारंभ की तिथि	11.07.2019	18.07.2019
6	समस्त कक्षाओं के प्रारम्भ की तिथि	25.07.2019	25.07.2019

नोट :–

1. **माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी कक्षाओं में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर योग्यता क्रम से ही देय होंगे।**
2. प्रवेश/परीक्षा के दौरान विविध सूचनाएँ पट पर दी जाती हैं, अतः सभी प्रवेशार्थीयों से अपेक्षा की जाती है वे सूचना पट के सम्पर्क में रहें।
3. प्रदर्शित सूची के प्रवेशार्थी द्वारा अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त हो जायेगा एवं योग्यता क्रम से अगले प्रवेशार्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।

आवश्यक सूचना

1. महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। रैगिंग में लिप्त पाए गये विद्यार्थी को संस्थान से निष्कासित किया जायेगा।
2. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, तम्बाकू, पान, गुटका पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। लिप्त पाए गये विद्यार्थी को संस्थान से निष्कासित किया जाएगा।

प्राचार्य

पं0 ललित मोहन शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश

(स्वायत्तशासी महाविद्यालय)

महाविद्यालय का इतिहास एवं परिचय

रैम्य ऋषि की तपःस्थली एवं प्राचीनकाल से हृषीकेश और कुब्जाम्रक तीर्थ के नाम से विख्यात पुण्यभूमि ऋषिकेश मे ंपर्वतीय क्षेत्रों की उच्च शिक्षा की पूर्ति हेतु महाविद्यालय की स्थापना के निमित्त पं. ललित मोहन शर्मा ट्रस्ट, ऋषिकेश द्वारा 49.02 एकड़ भूमि उ0प्र0 शासन को दान स्वरूप प्रदान की गयी। जिसके फलस्वरूप शासन द्वारा वर्ष 1973 में इस महाविद्यालय की स्थापना की गयी। स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित, कुल पाँच विषयों, 5 प्राध्यापकों एवं 38 छात्रों से इस संस्था का शुभारम्भ हुआ। वर्ष 1975–76 में स्नातक, स्तर पर कला, एवं वाणिज्य संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ की गयी। वर्ष 1977–78 में स्नातकोत्तर स्तर पर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की कक्षाएँ प्रारम्भ हुई।

1987–88 में महाविद्यालय का स्थायी भवन निर्मित हुआ। इस भवन में वाणिज्य संकाय एवं कला संकाय की कक्षाएं लगायी जाती है। पुराने अस्थाई भवन तथा नवनिर्मित विज्ञान भवन में विज्ञान संकाय की कक्षायें संचालित होती है। उत्तराखण्ड शासन ने इस महाविद्यालय में 5 व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्वीकृत किये है यथा–पी0जी0 डिप्लोमा इन यौगिक साइंस, पी0जी0 डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन्स, पी0जी0 डिप्लोमा इन इको–टूरिज्म, बी0एस0–सी0 मेडिकल लैब टैक्नोलॉजी तथा एम0ए0 इन योगा एण्ड ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। वर्तमान में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत बी0एस0सी0 मेडिकल लैब टेक्नालॉजी, पी0जी0 डिप्लोमा इन यौगिक साइंस तथा एम0ए0 इन योगा एण्ड ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में अध्ययन सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में अधिकतर विभाग, कार्यालय, पुस्तकालय, परीक्षा अनुभाग एवं विज्ञान कक्षाएं कम्प्यूटरीकृत हो चुके है।

महाविद्यालय का अपना खेल का मैदान है तथा शारीरिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आधुनिक व्यायामशाला (जिम) की सुविधा उपलब्ध है। जिससे छात्र/छात्राएँ लाभान्वित होते हैं। महाविद्यालय में 126 की क्षमता वाला पुरुष छात्रावास भी है।

महाविद्यालय की उत्तम शैक्षिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड शासन ने इस महाविद्यालय को वर्ष 2002–2003 में उत्कृष्ट महाविद्यालय अभिचिन्हित किया। इस महाविद्यालय को वर्ष 2004 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) द्वारा 'A' ग्रेड प्रदान किया गया तथा वर्ष 2006 में यू.जी.सी. द्वारा उत्कृष्टता हेतु क्षमता सम्पन्न महाविद्यालय (College with Potential for Excellence) चयनित किया गया। उक्त उपलब्धियों के आलोक में यू.जी.सी., नई दिल्ली द्वारा नवम्बर 2008 में इस महाविद्यालय को स्वायत्तशासी महाविद्यालय (Autonomous College) के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। 2013 में (NAAC) द्वारा पुर्नमूल्यांकन किया गया, जिसमें महाविद्यालय को 'B' ग्रेड प्राप्त हुआ।

महाविद्यालय का स्वायत्तशासी स्वरूप : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं. F 22-1/2008(AC) नवम्बर 2008 तथा एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा उत्तराखण्ड सरकार के पत्रांक 928] 929 XXIV(7)/9(6)08/2010 दि0 25 मई 2010 के द्वारा इस महाविद्यालय को स्वायत्तशासी महाविद्यालय का स्वरूप सत्र 2010 से स्वीकृत एवं लागू किया गया है। प्रदेश का यह एकमात्र स्वायत्तशासी महाविद्यालय है।

1. महाविद्यालय का शैक्षणिक प्रबन्धन – राजकीय स्वरूप यथावत रखते हुए महाविद्यालय के शैक्षिणक प्रबन्धन हेतु यू.जी.सी. के नियमानुसार, एक उच्चाधिकार प्राप्त 10 सदस्यीय गवर्निंग बाड़ी, एक 34 सदस्यीय अकादमिक कॉउसिल, एक वित्त समिति तथा 20 विषयों की अलग–अलग बोर्ड ऑफ स्टडीज का गठन किया जाता है जो स्वायत्तशासी महाविद्यालय के अन्तर्गत शैक्षणिक उन्नयन हेतु उत्तरदायी है।

2. चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सी.बी.सी.एस.) – इस महाविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक अभिवृद्धि लाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) के निर्देशानुसार एवं स्थापित मानक दिशानिर्देश के अनुरूप एकैडमिक कौन्सिल की 9वीं बैठक दिनांक 28 दिसम्बर 2015 के अनुसार स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली अर्थात सी0बी0सी0एस0 अंगीकार किया गया है। यह पद्धति विद्यार्थी केन्द्रित होने के साथ–साथ उनके अध्ययन में लचीलापन प्रदान करती है। इस पद्धति से उपाधि प्राप्त विद्यार्थी जब देश अथवा विदेश के अन्य संस्थानों में प्रवेश लेने जाते हैं तो उनको सहायता मिलती है।

2.1 चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (CBCS) की रूपरेखा–स्नातक स्तर (बी.ए., बी.एस.सी, बी.कॉम.)

सी.बी.सी.एस. प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों की रूपरेखा निम्नवत हैः–

क्रेडिट : क्रेडिट वह इकाई है, जिससे पाठयक्रम–कार्य मापा जाता है। एक क्रेडिट प्रति सप्ताह एक घण्टा के अध्यापन (व्याख्यान/ट्यूओरियल) अथवा दो घण्टे के प्रयोगात्मक कार्य/फील्ड वर्क के तुल्यमान होता है।

(i) कोर पाठ्यक्रम (Core Course) : वह पाठ्यक्रम जिसका अनिवार्य रूप से विद्यार्थी द्वारा अध्ययन किया जाना है।

(ii) ऐच्छिक पाठ्यक्रम (Elective Course) : वह पाठ्यक्रम जिसका अध्ययन निर्धारित पाठ्यक्रमों के समूह से चयन के पश्चात् किया जाना है। यह निम्नलिखित तीन प्रकार का है :

(a) विषय आधारित ऐच्छिक पाठ्यक्रम Discipline Specific Elective (DSE) Course : यह पाठ्यक्रम मुख्य विषय से विशिष्टतः सम्बन्धित है।

(b) शोध प्रबन्ध/परियोजना कार्य (Dissertation/Project) इस ऐच्छिक पाठ्यक्रम का अध्ययन विद्यार्थी किसी शिक्षक के परामर्श/ निर्देशन में स्वयं करता है।

(c) जेनेरिक इलेक्टिव पाठ्यक्रम (Generic Electrive (GE) Course) यह पाठ्यक्रम जिसका किसी असंबद्ध विषय से चयन किया जाता है। इनकी प्रकृति अन्तर–अनुशासनात्मक (Inter

disciplinary) होती है। किसी विषय के अन्तर्गत कोर पाठ्यक्रम का अध्ययन दूसरे विषय हेतु जेनेरिक इलेक्टिव पाठ्यक्रम तथा विलोमतः किया जा सकता है।

(iii) योग्यता संवर्द्धक पाठ्यक्रम Ability Enhancement Complsory Course (AECC) यह पाठ्यक्रम कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। यह निम्नलिखित दो प्रकार के हैं :

(a) पर्यावरण विज्ञान Environmental Sciences :

(इ) अंग्रेजी/आधुनिक भारतीय भाषा तथा हिन्दी/अंग्रेजी संप्रेषण English/Modern Indian Language (MIL) Communication.

(iv) कौशल–संवर्द्धक पाठ्यक्रम Skill Enhancement Course (SEC) यह मूल्य आधारित और/अथवा कौशल–आधारित पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रमों के सामान्य समूह में से ये पाठ्यक्रम चयनित किये जा सकेंगे।

2.2. विज्ञान वर्ग में स्नातक उपाधि तभी प्रदान की जाएगी जब विद्यार्थी चुने गये तीन विषयों में प्रत्येक विषयों में चार कोर पाठ्यक्रम (Core Course), 2 योग्यता संवर्द्धक पाठ्यक्रम (AECC), न्यूनतम 4 कौशल–संवर्द्धक पाठ्यक्रम (SEC) तक चुने गये तीन विषयों से प्रत्येक में 2 विषय आधारित ऐच्छिक पाठ्यक्र (DSE) उत्तीर्ण कर लेता है।

2.3. कला/वाणिज्य वर्ग में स्नातक उपाधि तभी प्रदान की जाएगी जब विद्यार्थी चुने गये दो विषयों में प्रत्येक विषय में चार कोर पाठ्यक्रम (Core Course), अग्रेंजी तथा आधुनिक भारतीय भाषा–हिन्दी (MIL-Hindi) में प्रत्येक में 2 पाठ्यक्रम 2 योग्यता संवर्द्धक पाठ्यक्रम (AECC), न्यूनतम 4 कौशल–संवर्द्धक पाठ्यक्रम (SEC) उपर्युक्त चुने गये दो विषयों से प्रत्येक में 2 विषय आधारित ऐच्छिक पाठ्यक्रम (DSE) और 2 जेनेरिक इलेक्टिव पाठ्यक्रम (GE) उत्तीर्ण कर लेता है।

2.4 त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि अर्जित करने के लिए विद्यार्थी को कुल मिलाकर न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करना होगा।

Table –A : SCHEME FOR CHOICE BASED CREDIT SYSTEM IN B.Sc. PROGRAM

SEM	Core Coure (12) 6 Credit each	Ability Enhancement Compulsory Course	Skill Enhancement Course *SEC (4) 4 Credit each	Discipline Specific elective DSE (6) Credit each	Total Credit in semester
SEM I	DSC-1 A- DSC-2 A- DSC-3 A-	Environmental Science (AECC)			22
SEM II	DSC-1 B- DSC-2 B- DSC-3 B-	English/MIL Hindi Communication (AECC)			22
SEM III	DSC-1 C- DSC-2 C- DSC-3 C-		SEC-1		22
SEM IV	DSC-1 D- DSC-2 D- DSC-3 D-		SEC-2		22
SEM V			SEC-3	DSC-1 A- DSC-2 A- DSC-3 A-	22
SEM VI			SEC-4	DSC-1 B- DSC-2 B- DSC-3 B-	22
				Total	132

Table –B : SCHEME FOR CHOICE BASED CREDIT SYSTEM IN B.A./B.Com PROGRAM

SEM	Core Coure (12) 6 Credit each	Ability Enhancement Compulsory Course	Skill Enhancement Course *SEC (4) 4 Credit each	Discipline Specific elective DSE (6) Credit each	Elective : Generic (GE) (2) 6 Credit each	Total Credit in semester
I	English/MIL-I DSC-1 A- DSC-2 A-	(English/MIL Communication/ Environment Science)				22
II	English/MIL-I DSC-1 B- DSC-2 B-	Environment Science/ (English/MIL Communication)				22
III	English/MIL-I DSC-1 C- DSC-2 C-		SEC-1			22
IV	English/MIL-I DSC-1 D- DSC-2 D-		SEC-2			22
V			SEC-3	DSC-1 A- DSC-2 A-	GEN-1	22
VI			SEC-4	DSC-1 B- DSC-2 B-	GEN-2	22
					Total	132

2.5 चयन आधारित क्रेडिट पद्धति (सी.बी.सी.एस.) की रूपरेखा–स्नातकोत्तर स्तर (एम.ए., एम.एस.–सी, एम.काम. तथा पी.जी. डिप्लोमा)

स्नातकोत्तर स्तर में निम्नलिखित पाठ्यक्रम शामिल हैं–

1. विद्यार्थी के लिए न्यूनतम 80 क्रेडिट के कोर पाठ्यक्रम अनिवार्य होंगे। विद्यार्थी को सभी कोर पाठ्यक्रमों को अनिवार्यतः उत्तीर्ण करना होगा। एक कोर पाठ्यक्रम 4–5 क्रेडिट का होगा।
2. विद्यार्थी को 16–20 क्रेडिट के ऐच्छिक पाठ्यक्रम करने होंगे, जिनमें से प्रत्येक 4–5 क्रेडिट के होंगें इनका अध्ययन सेमेस्टर तीन तथा सेमेस्टर चार में किया जायेगा।
3. विद्यार्थी को न्यूनतम एक सेल्फ स्टडी कोर्स (2 क्रेडिट), अधिकतम दो कोर्स (प्रत्येक दो क्रेडिट) का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। इनका अध्ययन सेमेस्टर तीन तथा चार में किया जाएगा।
4. सेल्फ स्टडी पाठ्यक्रम शोध प्रबन्ध, प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अथवा फिल्ड वर्क के रूप में भी किये जा सकते है।
5. दो वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि के लिए विद्यार्थी को कुल मिलाकर 100 क्रेडिट अर्जित करना होगा।
6. एक वर्षीय डिप्लोमा हेतु न्यूनतम 50 क्रेडिट के कोर पाठ्यक्रम तथा निर्धारित ऐच्छिक पाठ्यक्रम करने होंगे।

3. प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक नियम निर्देश –

1. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र सहित साक्षात्कार के समय स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित नाम एवं हाईस्कूल की अंकतालिका/प्रमाण में अंकित नाम समान है।

2. नये प्रवेशार्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रवेशार्थी द्वारा समस्त संलग्नक **स्व–प्रमाणित** होने चाहिए।

(क) समस्त परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की प्रमाणित प्रतियां।

(ख) हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ग) स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) की प्रामाणिक प्रतिलिपि (मूल प्रति प्रवेश के समय जमा करना आवश्यक होगा)।

(घ) अन्तिम विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (मूल प्रति प्रवेश के समय जमा करना आवश्यक होगा)।

(च) व्यक्तिगत अभ्यर्थी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त आचरण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करेंगे। (प्रवेश के समय मूल प्रति जमा करना आवश्यक होगा)

(छ) पासपोर्ट साइज के नवीनतम रंगीन फोटो निर्धारित स्थानों पर लगाने होंगे।

(ज) खेल प्रमाण पत्र अथवा कोई भी अन्य प्रासंगिक प्रमाण–पत्र।

(झ) अन्य विश्वविद्यालय (हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय को छोड़कर) की किसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् इस महाविद्यालय में एम.ए./एम.एस.–सी., एम.काम, प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्रा प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) की प्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे। प्रवजन प्रमाण पत्र की मूल प्रति परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना छात्र का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

(ञ) आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग) अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। विकलांग हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (उत्तराखण्ड) का प्रमाण पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो। अर्थात् 1 जुलाई 2016 से पहले का स्वीकार नहीं होगा। SC/ST/OBC वर्ग के अभ्यार्थियों को स्वयं के नाम का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(य) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जायेगा।

(र) प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों की मूल पति काउन्सलिंग के समय प्रवेश समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना/दिखाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा।

3. द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु केवल पिछले सेमेस्टर के अंक पत्र की प्रति संलग्न करेंगे।

4. छात्र/छात्रा द्वारा बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.–सी. प्रथम सेमेस्टर एवं एम.ए./एम.कॉम./एम. एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रत्येक संकाय/विषय हेतु अलग–अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक संकाय से दूसरे संकाय में आवेदन पत्र स्थानान्तरित करना सम्भव नहीं होगा।
5. अपूर्ण ऑनलाइन फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. ऑनलाइन की अन्तिम तिथि के पश्चात् अविचारित आवेदन पत्र निरस्त समझे जायेंगे।
7. अभ्यर्थी प्रवेश सम्बन्धी सूचनाओं के लिए महाविद्यालय का सूचना पट्ट बेबसाइट देखते रहें।
8. प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश के निमित गठित समितियां निर्धारित तिथि के अन्दर प्राप्त सभी ऑनलाइन फार्म पर विचार करेंगी। स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की वरियता सूची में नाम होने पर अभ्यर्थी के प्रवेश शुल्क जमा करने के उपरान्त ही निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थिति होना होगा अन्यथा उनके प्रवेश पर विचार सम्भव नहीं होगा। प्रवेश समितियां प्रवेश के लिए अर्ह प्रवेशार्थियों का साक्षात्कार करेगी और उपलब्ध स्थानों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए योग्यता के आधार पर प्रवेशार्थियों के नामों की सूची प्राचार्य की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगी। प्राचार्य की स्वीकृति के उपरान्त ही प्रवेश अनुमन्य होगा तथा प्रवेश के पश्चात् भी अनियमितता व अनुशासनहीनता पाये जाने की स्थिति पर प्रवेश तत्काल निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा।
9. कोई भी विद्यार्थी एक सत्र में दो डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का न तो अध्ययन करेंगे और न ही इन परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे।

4. प्रवेश नियम सत्र 2019–2020 (निम्नलिखित नियम सभी कक्षाओं में प्रवेश पर लागू होंगे) –

1. केवल उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। अनुत्तीर्ण प्रवेशार्थी प्रवेश पाने के लिए अर्ह नहीं होंगे। ड्राप–आउट अभ्यर्थी भी प्रवेश पाने के लिए अर्ह नहीं होंगे। ड्राप आउट से तात्पर्य है कि छात्र द्वारा विधिवत् प्रवेश लेने के पश्चात् किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हो।
2. (i) बीएस.–सी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट (विज्ञान) परीक्षा में न्यूतनम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।

   (ii) बी.ए./बी.कॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।

नोट– अभ्यर्थी ने इण्टर परीक्षा जितने विषयों से उत्तीर्ण की है (ऐच्छिक विषय को छोड़कर) तो उसके अंकों का प्रतिशत उतने विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर लिया जायेगा।

(iii) 39.99 को 40 प्रतिशत तथा 44.99 को 45 प्रतिशत नही माना जायेगा।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम प्रवेश आर्हता में 5 प्रतिशत की छूट होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तराखण्ड हेतु प्रमाण पत्र (नॉन क्रीमी धारकों के लिए) तीन वर्ष से अधिक पुराना अर्थात् 1 जुलाई 2016 से पूर्व का मान्य नहीं होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को यह शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदित तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है।

(v) कारगिल युद्ध के शहीदों के आश्रितों को न्यूनतम योग्यता धारण करने पर ही प्रवेश पाने का अधिकार होगा।

(vi) यदि किसी अभ्यर्थी ने आरक्षित श्रेणी हेतु आवेदन किया है और अपने आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है तो उसे सामान्य श्रेणी में माना जायेगा।

(vii) ओपन बोर्ड उत्तीर्ण प्रवेशार्थी जिस विद्यालय/अध्ययन केन्द्र से परीक्षा उत्तीर्ण किया है उस विद्यालय/अध्ययन केन्द्र से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करेंगे।

प्रवेश आवेदन के साथ दस्तावेज निम्न क्रम में लगायें–

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट
2. हाईस्कूल अंक तालिका (फोटो प्रति)
3. हाईस्कूल प्रमाण पत्र (फोटो प्रति)
4. इण्टर अंक तालिका (फोटो प्रति)
5. इण्टर प्रमाण पत्र (फोटो प्रति)
6. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
7. चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
8. रैगिंग एवं उपस्थिति हेतु शपथ–पत्र
9. आरक्षण/ खेलकूद/ एन.सी.सी./ एन.एस.एस./अन्य प्रमाण पत्र/आधार कार्ड की फोटोप्रति

3. अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
4. प्राचार्य को बिना कारण बताये किसी अभ्यर्थी को प्रवेश न देने तथा किसी भी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश निरस्त करने का अधिकार है।
5. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर 06 वर्ष तथा परास्नातक स्तर पर 04 वर्ष कुल 10 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत ही अध्ययन करने की सुविधा रहेगी। इससे अधिक तक संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययन करने की अनुमति नहीं होगी। यह नियम व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।

6. अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अधिकतम एक वर्ष का गैप अनुमन्य है अर्थात् 2015 से पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र नहीं होंगें। गैंप वर्ष के साक्ष्य के रूप में सक्षम न्यायालय के नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त योग विज्ञान विभाग के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अधिकतम तीन वर्षो का गैप अनुमन्य होगा।)
7. प्रत्येक कक्षा में प्रवेश, स्थानों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए योग्यता क्रम/प्रवेश परीक्षा अथवा दोनों के आधार पर दिया जाएगा।
8. अनुतीर्ण छात्र/छात्रा को संकाय बदलकर प्रवेश नहीं मिलेगा।
9. कानून द्वारा दण्डित छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं होगा।
10. ऑन लाइन प्रवेश फार्म के साथ चरित्र प्रमाण–पत्र तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र/छात्रा को परीक्षा आवेदन पत्र के साथ माइग्रेशन प्रमाण–पत्र (NOS के लिये) मूल प्रति जमा करना अनिवार्य है।
11. यदि कोई प्रवेशार्थी न्यूनतम अर्हता न होते हुए भी प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो जांच के उपरान्त उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रमाण पत्र/कागजात अथवा शपथ पत्र जाली पाये जाते हैं तो छानबीन करने पर अथवा सूचना प्राप्त होते ही उसका प्रवेश, निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा तथा ऐसे प्रवेशार्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
12. प्रवेश के उपरान्त निर्धारित तिथि तक परीक्षा फार्म भरकर शुल्क रसीद की छाया प्रति के साथ प्राचार्य कार्यालय में जमा करना होगा।
13. एक बार प्रवेश मिलने के पश्चात् विषय परिवर्तन नहीं होगां।
14. उत्तराखण्ड के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को प्रवेश से पूर्व अपना–अपना पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. किसी भी प्रकार कैजुअल एडमिशन नहीं दिया जायेगा।
16. (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखण्ड शासन के नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा। (नोटः ऐसे अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्वयं के नाम पर प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।)

    (ii) उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या : 1144/कार्मिक–2–200–53(1)2001 दिनांक 18 जुलाई 2001 के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 4 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 14 प्रतिशत का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न

करने पर ही दिया जायेगा। सक्षम अधिकारी से तात्पर्य जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी से है।

(iii) अन्य पिछड़े वर्ग उत्तराखण्ड प्रवेशार्थी को 1 जुलाई 2016 के बाद का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वह आवेदित तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं।

(iv) महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांगों तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार हारिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा– (1) महिलाएं 30% (2) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित 2% (3) विकलांग व्यक्ति 03% (4) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02% (जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी वर्ग में होरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा) विकलांग अभ्यर्थी को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्र–छात्राओं के लिए आरक्षण, उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश/निर्देश निर्गत होने तथा विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त सीटों की वृद्धि के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त औपचारितायें पूर्ण करने पर ही अनुमन्य होगा।

17. महाविद्यालय में प्रवेश छात्र/छात्राओं को पूर्णतः अनुशासित रहकर महाविद्यालय एवम् विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों तथा अन्य निर्देशों का सम्यक पालन करना होगा तथा वे किसी भी अवांछनीय अथवा असामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे एवं रैगिंग में संलिप्त नहीं पाये जायेंगे। उक्त की अवहेलना करने पर उन्हें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार निष्कासित अथवा दण्डित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा। रैगिंग हेतु प्रवेशार्थी को संलग्न शपथ पत्र पर स्वयं एवं संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित करते हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
18. अगली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पूर्व पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें वापस करनी होगी।
19. **सेमेस्टर परीक्षा हेतु प्रत्येक संस्थागत छात्र का 75 प्रतिशत उपस्थिति (सैद्धान्तिक एंव प्रायोगिक में अलग–अलग) होना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।** इस हेतु प्रवेशार्थी एवं उनके संरक्षक को संलग्न शपथ पत्र को हस्ताक्षरित कर प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
20. सेवारत अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

स्नातक प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन सम्बन्धी निर्देश–

कला संकाय – बी.ए. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी निम्नलिखित विषय में से कोई दो विषय का चयन कर सकता है– (1) हिन्दी, (2) संस्कृत, (3) अंग्रेजी, (4) राजनीति विज्ञान, (5) अर्थशास्त्र, (6) इतिहास, (7) समाजशास्त्र, (8) भूगोल (प्रायोगिक), (9) गृहविज्ञान (प्रायोगिक), (10) संगीत (प्रायोगिक), (11) शिक्षा शास्त्र (प्रायोगिक), (12) गणित। कुल स्वीकृत सीट संस्कृत– 60, भूगोल–100, शि.शा. 50, संगीत–20, गृहविज्ञान–60, गणित–25 के साथ अन्य विषयों में प्रत्येक में 120 निर्धारित है।

उपरोक्त विषय चयन में योग्यता सूची एवं प्रत्येक विषय में स्थान की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

नोट (1) भूगोल विषय उन्हीं अभ्यर्थियों को देय होगा जिन्होंने इण्टर परीक्षा भूगोल के साथ या विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण की है।

(2) बी.ए. प्रथम सेमेस्टर में वे ही अभ्यर्थी गणित विषय चयन कर सकते है जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा गणित से उत्तीर्ण की है।

(3) जिन अभ्यर्थियों का इण्टर में संगीत विषय नहीं रहा है, वे भी बी.ए. में संगीत विषय का चयन कर सकते है।

(4) अंग्रेजी व संस्कृत एक साथ देय नहीं होंगे।

(5) हिन्दी के साथ गणित देय नहीं होगा।

(6) दो विषयों में अधिकतम एक प्रायोगिक विषय का चयन कर सकते है।

विज्ञान संकाय – बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में निम्नलिखित विषय–संयोजन स्वीकृत है विषय संयोजन में उन्हीं विषयों का चयन किया जाए जिनमें वे अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। (भू–विज्ञान को छोड़कर)

(क) भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणित	स्वीकृत सीट–120
(ख) प्राणि–विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान	स्वीकृत सीट–120
(ग) भौतिक, गणित एव भू–विज्ञान	स्वीकृत सीट–40
(घ) वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान एव भू–विज्ञान	स्वीकृत सीट–40

उक्त किसी भी विषय संयोजन में रसायन विज्ञान, सीटों की उपलब्धता के आधार पर ही देय होगा।

वाणिज्य संकाय – बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को देय होगा जिन्होंने इण्टर परीक्षा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। **स्वीकृत सीट–240**

5. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए योग्यता क्रम निर्धारण –

इण्टरमीडिएट परीक्षा के सभी विषयों (Excluding qualifying subject) के प्राप्ताकों के आधार पर प्राप्त प्रतिशत को सूचकांक का आधार माना जाएगा। सूचकांक में निम्नानुसार अतिरिक्त अंकों को जोड़कर योग्यता सूची बनाई जायेगी तथा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जायेगा तत्पश्चात् उपलब्ध स्थानों के प्रति योग्यता क्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

1. सूचकांक निर्धारण हेतु अभ्यार्थियों को निम्नानुसार अतिरिक्त अंक देय होगे।

(अ) शासन/मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर

(1) राष्ट्रीय स्तर	07 अंक
(2) राज्य/जोनल स्तर	05 अंक
(3) जिला स्तर	03 अंक
(ब) स्काउट गाइड राष्ट्रपति प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	02 अंक
स्काउट में जी–1 धारक को	01 अंक
स्काउट में जी–2 धारक को	02 अंक
(स) ध्रुव पद/ गुरुपद	02 अंक
(द) NCC/NSS 'बी'/'सी' प्रमाण पत्र अभ्यर्थी	03/05 अंक

प्रतिबन्ध यह होगा कि अ, ब, स तथा द के लिए अधिकतम 07 अंक देय होंगे।

नोट – खेलकूद के लिए वही प्रमाण पत्र मान्य होंगे, जो शासन/मान्यता प्राप्त विद्यालय/क्रीड़ा विभाग/शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये गये हो। निजी एसोसिएशन के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

2. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों, भूतपूर्व/कार्यरत सैनिकों एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री) को 03 अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।

क्रमांक 1 से 2 तक की श्रेणी में आने वाले प्रवेशार्थियों को किसी भी दषा में अधिकतम देय वरीयता अंक 10 ही होंगे।

(नोटः उपरोक्त लाभ किसी कक्षा में प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता निर्धारण के साथ में नहीं जोड़ा जायेगा।)

6. परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु तथा योग्यता क्रम निर्धारण हेतु नियम –

क) एम0एस0–सी0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशार्थ न्यूनतम अर्हता हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय अथवा यू0जी0सी0 मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्व विद्यालय से सम्बन्धित विषय के साथ न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों सहित बीएस0–सी0 परीक्षा उत्तीर्ण है। एमए0/एम–कॉम0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु स्नातक परीक्षा में 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक आवश्यक है। उत्तराखण्ड के SC/ST अभ्यार्थियों को न्यूनतम अंक में 5 प्रतिशत की छूट होगी।

ख) एम.एस.–सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु बीएस.–सी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिकाओं की सत्यापित प्रतियां एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रतियां सूचकांक निर्धारण करने हेतु प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

ग) सम्पूर्ण स्थान योग्यता क्रम से भरे जायेंगे तो निम्नाकिंत 'सूचकांक गणना' के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

$$\text{सूचकाकं सूत्र} = \frac{X + Y}{\text{अधिकतम } X + \text{अधिकतम } Y} \times 100$$

(यहाँ X का आशय स्नातक परीक्षा में कुल प्राप्तांक से है और Y स्नातकोत्तर कक्षा के लिए चयन किये गये विषय में स्नातक परीक्षा के (सैद्धान्तिक+प्रायोगिक) में कुल प्राप्तांक से है।)

1. शासन/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रवेशार्थी को 07 अंक, अन्तर विश्वविद्यालय/राज्य/जोनल स्तर पर आयोजित खेलकूल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर 05 अंक तथा वि0वि0 स्तर पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर 03 अंक देय होंगे।
2. एन0सी0सी0 –'बी' प्रमाण पत्र पर 03 अंक तथा 'सी' प्रमाण पत्र पर 05 अंक देय होंगे।
3. NSS के बी प्रमाण पत्र के लिए 03 तथा सी प्रमाण पत्र के लिए 05 अंक देय होंगे।
   प्रतिबन्ध यह होगा कि 01, 02 एवं 03 में कुल मिलकार 07 से अधिक अंक देय नहीं होंगे।
4. कार्यरत अथवा भूतपूर्व सैनिक/स्वतन्त्रता संग्राम सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/पौत्र/पौत्री) के लिए 03 अंक का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होंगे।
5. शैक्षिक योग्यता, खेलकूद, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काउट, गाईड, रोवर–रेंजर्स आदि में उपलब्धियों तथा कार्यरत सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रित एवं महाविद्यालय के शिक्षक–शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों को दिये गये वरीयता अंकों के आधार पर योग्यता सूची बनायी जायेगी और अभ्यार्थियों को प्रवेश योग्यता क्रम से दिया जायेगा। **अधिकतम देय वरीयता अंक 10 ही होंगे।**
6. बी.एस.सी./बी.कॉम उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी विषय से एम.ए. पूर्वाद्ध में (प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध हैं–

कला संकाय– हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल। कुल स्वीकृत सीट–भूगोल–30 को छोड़कर 60 प्रत्येक।

विज्ञान संकाय– रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान एवं गणित। गणित विषय 60 को छोड़कर प्रत्येक में केवल 15–15 स्थान उपलब्ध है।

वाणिज्य संकाय–एम0कॉम0 – 80 सीट

नोट – स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी को किसी भी दशा में अन्य स्नातकोत्तर विषय में पुनः प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

महाविद्यालय में निम्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम (स्व–वित्त पोषित) उपलब्ध है –

(1) बी0एस0–सी0 मेडिकल लैब टैक्नोलॉजी	30 सीट
(2) पी0जी0 डिप्लोमा इन यौगिक साइंस	40 सीट
(3) एम0ए0 इन योगा एण्ड ऑल्टरनेटिव थैरेपीज	20 सीट
(4) पी0जी0 डिप्लोमा इन एडवटाइजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन	40 सीट
(5) पी0जी0 डिप्लोमा इन इको–टूरिज्म	30 सीट

नोट :–

1. सभी स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु आवेदन पत्र एवं अन्य विस्तृत जानकारी सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. बी0एस0–सी0 मेडिकल लैब टैक्नोलॉजी को छोड़कर अन्य स्व. वित्त पोषित पाठ्यक्रम में आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है।
3. **किसी भी स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी किसी भी दशा में महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में मतदाता, प्रत्याशी तथा चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से भाग लेने के लिए अर्ह नहीं होंगे।**
4. **स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के क्रमांक 4 एवं 5 पर अंकित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कम से कम 15–15 आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही इन पाठ्यक्रमों में वर्तमान में प्रवेश सम्भव होगा।**

7. शुल्क विवरण –

प्रवेशार्थियों को पूरे सेमेस्टर का शुल्क प्रवेश के समय देना होगा। परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क भी प्रवेश के समय ही देय होंगे। राज्य सरकार द्वारा शुल्क में बढ़ोत्तरी करने पर तद्नुसार शुल्क देय होगा। वर्तमान में शुल्क विवरण (रूपयों में) निम्नवत् है–

(अ)	कोषागार	स्नातक	स्नातकोत्तर
1.	प्रवेश शुल्क	03.00	03.00
2.	शिक्षण शुल्क	00.00	180.00
3.	मंहगाई शुल्क	240.00	240.00
4.	विकास शुल्क	20.00	20.00
5.	पुस्तकालय शुल्क	3.00	10.00
6.	पंखा शुल्क	5.00	5.00
7.	प्रयोगशाला शुल्क	240.00	240.00

(ब) छात्र निधि

1.	परिचय पत्र शुल्क	25.00	25.00
2.	क्रीड़ा शुल्क	200.00	200.00
3.	वाचनालय शुल्क	30.00	30.00
4.	पत्रिका शुल्क	50.00	50.00
5.	छात्र–संघ शुल्क	50.00	50.00
6.	विभागीय परिषद	50.00	50.00
7.	छात्र सहायता कोष	10.00	10.00
8.	विद्युत/जल शुल्क	60.00	60.00
9.	रोवर/रेन्जर्स शुल्क	60.00	60.00
10.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	150.00	150.00
11.	परीक्षा शुल्क	700.00 प्रति सेमेस्टर	800.00 प्रति सेमेस्टर
12.	उपाधि शुल्क (स्नातक एवं स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष)	200.00	200.00
13.	वि0वि0 क्रीड़ा शुल्क	30.00	30.00
14.	इन्टरनेट शुल्क	70.00	70.00
15.	स्वायत्तशासी विकास शुल्क	100.00	100.00
16.	काशनमनी	(कोई शुल्क नहीं)	
17.	स्वच्छता/परिसर सौन्दर्यीकरण शुल्क/प्रांगण विकास	60.00	60.00
18.	सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि	10.00	10.00
19.	अनुरक्षण	20.00	20.00
20.	रसायन विज्ञान (केवल रसायन विज्ञान के छात्रों से)	100.00	100.00
21.	पर्यावरण	100.00	(केवल पर्यावरण के छात्रों से)
22.	जनरेटर शुल्क	50.00	50.00
23.	सांस्कृति परिषद	50.00	50.00
24.	कैरियर काउन्सिलिंग	30.00	30.00
25.	पार्किंग शुल्क	30.00	30.00
26.	विविध शुल्क	100.00	100.00
27.	प्रसाधन शुल्क	50.00	50.00
28.	प्रयोगात्मक सामग्री	60.00	60.00
29.	महाविद्यालय दिवस	20.00	20.00
30.	पी0टी0ए0	30.00	30.00

31. MIL Hindi/English — 100.00 (स्नातक प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं को देय)

32. पी0एच0डी0 अध्ययन शुल्क– 1200/प्रतिवर्ष न्यूनतम 2 वर्षो हेतु इसके साथ, प्रयोगात्मक शुल्क 150/–प्रतिमाह, स्वच्छता/परिसर सौन्दर्यीकरण, पुस्तकालय सवंर्द्धन एवं अनुरक्षण शुल्क, इण्टरनेट, पुस्तकालय, वाचनालय, परिचय पत्र, पत्रिका, विद्युत शुल्क, न्यूनतम 2 वर्षो हेतु देना होगा। शुल्कों का विवरण तथा जमा करने की तिथियां समय–समय पर महाविद्यालय सूचना पट्ट पर अधिसूचित की जायेंगी। शासन/निदेशालय से निर्देश प्राप्त होने पर शुल्क के सम्बन्ध में नवीनतम आदेश ही मान्य होंगे।

***शिक्षण, मंहगाई व प्रयोगशाला शुल्क वार्षिक जमा किया जाएगा।**

नोट :–

1. कोई भी विद्यार्थी यदि नियत अवधि के अन्दर शुल्क जमा नहीं करता है अथवा 15 दिन से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहता है और अपने अनुपस्थित रहने का सन्तोषजनक कारण नहीं बता पाता है तो उसका नाम महाविद्यालय पंजिका से काट दिया जायेगा।
2. चरित्र प्रमाण पत्र तथा स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र, कार्यालय को इस आशय हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र (अदेय प्रमाण–पत्रों सहित) की प्राप्ति तिथि से दो दिनों के बाद ही निर्गत किये जा सकेंगे।
3. प्रतिभूति धनराशि वर्ष में केवल दो बाद ही लौटाई जा सकेगी। आवेदन–पत्र माह नवम्बर तथा अप्रैल में जमा होंगे तथा भुगतान अगले माह किया जायेगा। यह सुविधा महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष तक ही रहेगी।
4. स्नातक स्तर पर शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
5. सेमेस्टर परीक्षा फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जा सकेगा।
6. यदि किसी परीक्षार्थी के सेमेस्टर अंक पत्र में नाम/पिता का नाम आदि की कोई त्रुटि हो तो परीक्षाफल घोषित होने के एक माह के अन्दर अंक में सुधार हेतु आवेदन करना होगा अन्यथा अंक पत्र सुधार हेतु रु0 100 जमा करना होगा।
7. स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर/स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र प्रवेश समिति के सम्मुख जमा नहीं करते है तो निर्धारित तिथि के उपरान्त एक सप्ताह तक 100 रूपये, दूसरे सप्ताह 200 रूपये, तीसरे सप्ताह 500 रूपये एवं चौथे सप्ताह 2000 रूपये तथा इसके पश्चात् 5000 रूपये विलम्ब शुल्क जमा करके प्रश्नगत कक्षा में प्रवेश हेतु अर्ह होगें।
8. प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) शुल्क रु0 150.00 है।

9. प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद 30 दिन तक जमा करने पर रू0 100 विलम्ब शुल्क देय है।
10. अंक पत्र खो जाने पर द्वितीय प्रति निर्गत शुल्क 250 रू0 है इसके साथ शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा तथा समाचार पत्र में खोने की सूचना प्रकाशित करवानी होगी।
11. स्नातकोत्तर कक्षाओं में (डिजरटेशन) लघुशोध प्रबन्ध लेने पर शुल्क रु0 200 देय है।

8. सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत 75% उपस्थिति की अनिवार्यता –

8.1 स्वायत्तशासी स्वरूप के अन्तर्गत परीक्षार्थियों के लिए लिखित एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दोनों में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

8.2 समस्त विषयों के सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत से कम उपस्थित वाले विद्यार्थियों को सत्रांत की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रहेगी।

8.3 विशेष परिस्थितियों में उपस्थिति के न्यूनतम प्रतिशत में छूट देने का अधिकार प्राचार्य में निहित है। परन्तु किसी भी स्थिति में यह छूट 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

8.4 विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत छूट प्राप्ति के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को प्रकरण के गुण–दोष पर विचार करने के उपरान्त प्राचार्य द्वारा निर्णय दिया जायेगा। उनका यह निर्णय अन्तिम रहेगा–

1. यदि विद्यार्थी एन.सी.सी. कैडेट के रूप में, वार्षिक एन.सी.सी. शिविर में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है।
2. यदि विद्यार्थी को सिविल डिफैन्स ड्यूटी हेतु भेजा जाता है।
3. यदि विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना अथवा Rovers-Rangers की महाविद्य़ालय इकाई में नामांकित है तथा प्राचार्य की अनुमति लेकर विशेष शिविरों अथवा विभिन्न सामाजिक कार्यो में जाता है।
4. यदि विद्यार्थी अन्तर्महाविद्यालयी क्रीड़ा, वाद–विवाद, सेमिनार, सिम्पोजिया, सामाजिक कार्य परियोजना (Social Work Project) में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करता हो।
5. यदि छात्र–छात्रा अस्वस्थता के कारण कक्षाओं में उपस्थित न हो सका हो। उपरोक्त बिन्दु 1 से 5 के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के लिए उपरोक्त कार्याकलापों में भाग लेने से पूर्व सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा अग्रसारित प्रार्थना पत्र प्राचार्य को प्रस्तुत कर देना होगा। अस्वस्थता के आधार पर छूट हेतु चिकित्सा प्रमाणपत्र सहित प्रार्थना पत्र समय से प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वस्थ होने के तुरन्त बाद प्रस्तुत करना होगा।

9. सी.बी.सी.एस. प्रणाली के अन्तर्गत परीक्षा का स्वरूप –

1. विद्यार्थी के परीक्षा कार्य का मूल्यांकन सतत् सघन मूल्यांकन के तहत आंतरिक सेशनल परीक्षा एवं सत्रांत परीक्षा (End Semsester Examination) द्वारा किया जाता है। सेशनल और सत्रांत परीक्षा में अंकों का विभाजन 30 : 70 के अनुपात में होता है।
2. स्नातक स्तर पर 20 अंक की लिखित परीक्षा, 05 अंक का सेमिनार/डिस्कशन/क्विज/ प्रोजेक्ट अथवा एसाइनमेन्ट तथा 05 अंक की उपस्थिति अर्थात् कुल 30 अंक सेशनल परीक्षा के अंग के रूप में होंगे।
3. स्नातकोत्तर स्तर पर 10–10 अंक की दो लिखित परीक्षा, 05 अंक का सेमिनार/डिस्कशन/ क्विज/प्रोजेक्ट तथा एसाइनमेंट तथा 05 अंक की उपस्थिति अर्थात् कुल 30 अंक सेशनल परीक्षा के अंक के रूप में होंगे।
4. सेशनल तथा अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण–प्रतिशत स्नातक स्तर पर अधिकतम अंक का 40 प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम अंक का 50 प्रतिशत होगा।
5. प्रत्येक सेमेस्टर के अन्त में महाविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है।
6. स्नातक और स्नातकोत्तर सेमेस्टर में प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्र एवं प्रायोगिक कोर्स दोनों का आन्तरिक सतत् सघन मूल्यांकन (CCE) होता है।
7. विद्यार्थी को प्रत्येक सेशनल परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थी सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते।
8. यदि विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में 75 प्रतिशत से कम उपस्थित के कारण सत्रांत परीक्षा से वंचित किया जाता है किन्तु वह सेशनल परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, तब वह अगले वर्ष के प्रथम सेमेस्टर की सत्रांत परीक्षा में भूतपूर्व छात्र (Ex Student) की तरह शामिल हो सकता है।
9. यदि विद्यार्थी द्वितीय सेमेस्टर में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति के कारण सत्रांत परीक्षा से वंचित किया जाता है किन्तु वह सेशनल परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, तब वह अगले वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर की सत्रांत परीक्षा में भूतपूर्व छात्र की तरह शामिल हो सकता है।
10. यदि विद्यार्थी की उपस्थिति प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में 75 प्रतिशत है और वह समस्त सेशनल परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, किन्तु वह प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में कुल क्रेडिट का पचास प्रतिशत अर्जित नहीं कर पाता तो उसे अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उसे तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश नहीं मिलेगा।
11. ऐसे विद्यार्थी प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर की सत्रांत परीक्षा में भूतपूर्व छात्र की तरह शामिल हो सकते हैं। उनके सेशनल परीक्षा के अंक पूर्व परीक्षा से अग्रभारित किये जाएंगे।

आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट अर्जित करने के पश्चात् उन्हें तृतीय सेमेस्टर में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश मिल सकेगा।

12. इसी प्रकार यदि संस्थागत विद्यार्थी की उपस्थिति तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में 75 प्रतिशत है और वह समस्त सेशनल परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, किन्तु वह आवश्यक क्रेडिट अर्जित नहीं कर पाता तो उसे अनुत्तीर्ण माना जाएगा और वह अगले वर्ष की तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर के सत्रांक परीक्षा में भूतपूर्व छात्र की तरह शामिल हो सकता है। उसके सेशनल परीक्षा के अंक पूर्व परीक्षा से अग्रभारित किये जाएगें।
13. किसी भी विद्यार्थी को एक ही सेमेस्टर में दो से अधिक बार परीक्षा का अवसर नहीं दिया जाएगा।
14. छात्र के स्नातक स्तर पर सम्पूर्ण कोर्स उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम समय सीमा 6 वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 4 वर्ष रहेगी।
15. सेमेस्टर परीक्षा में समस्त सेमेस्टर पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाते है। स्नातक सेमेस्टर के प्रश्नपत्रों में वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का समावेश होता है। स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम में दिये हुए निर्देशानुसार प्रश्नों का समावेश होता है।
16. सी.बी.सी.एस. सेमेस्टर प्रणाली में विद्यार्थी के परीक्षा कार्य का मूल्यांकन प्रत्येक कोर्स के सेशनल एवं सत्रांत परीक्षा के अंकों को जोड़ने के पश्चात् अंकों के प्रतिशत की ग्रेड प्वाइट एवं लेटर ग्रेड में बदल कर किया जाता है।

10. पुनर्गणना (Retotalling) –

मुख्य परीक्षा के सैद्धान्तिक प्रश्न पत्रों में प्राप्त अकों की पुनगर्णना का प्रावधान है। **परीक्षा की अंक सूची जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर परीक्षार्थी को मूल अंक पत्र सहित निर्धारित आवेदन प्रपत्र शुल्क रसीद के साथ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।** पुनर्गणना के लिए प्रति प्रश्न पत्र का शुल्क रु0 100.00 निर्धारित है। इस राशि को आवेदन पत्र के साथ परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त करना आवश्यक है, यह राशि किसी भी स्थिति में वापिस नहीं होगी। यदि पुनर्गणना के फलस्वरूप परीक्षार्थी के प्राप्तांक में परिवर्तन होता है। तब उसकी अंक सूची संशोधित की जायेगी यदि आवश्यक हुआ तब उसकी श्रेणी एवं परीक्षा परिणाम में भी संशोधन किया जायेगा।

11. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण –

यदि कोई परीक्षार्थी विगत सेमेस्टर की परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण/ अवलोकन करना चाहता है तो वह कार्यालय में 400 प्रति प्रश्न पत्र जमाकर परीक्षाफल निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर केवल स्वयं उपस्थित होकर उत्तर पुस्तिका का स्वयं अवलोकन कर सकता है।

12. छात्रों के विकासोन्मुखी पाठ्य–सहगामी क्रिया–कलाप –

1. **शारीरिक शिक्षा (गेम्स एवं स्पोर्ट्स) –** महाविद्यालय में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ–साथ शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जिससे समस्त छात्र/छात्राओं के लिए खेलों में भाग लेने का प्रविधान है। प्रतिवर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय क्रीडा कलेण्डर के माध्यम से विभिन्न खेलों का कार्यक्रम घोषित करता है। विभिन्न टीमों में खिलाड़ियों का चयन प्रक्रिया के तहत किया जाता है। जिसमें प्रातः एवं सायं खेल के मैदान में आना आवश्यक है। खेलों में प्रवीणता हासिल करने के लिए कोचिंग कैम्पों का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षित टीम ही विश्वविद्यालयी खेलों में भाग लेती है। महाविद्यालय खिलाड़ियों को खेल की सम्पूर्ण सुविधा प्रदान करता है जैसे–सम्पूर्ण खेल किट, शूज, स्पाइक आदि। विश्वविद्यालय की विभिन्न टीमों में चयनित खिलाड़ियों को ट्रेकसूट प्रदान किये जाते हैं। अच्छे प्रर्दशन करने वाले खिलाड़ियों को विशेष सुविधाएं महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है।
2. **राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) –** इसके अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को अर्द्धसैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में महाविद्यालय में एन.सी.सी. की एक कम्पनी स्वीकृत है। सत्र 2004–2005 में एन.सी.सी. की इसी कम्पनी में महिला कैडेट्स की भर्ती हो चुकी है। एन. सी.सी. विभिन्न प्रमाण पत्र धारकों को उच्च कक्षाओं में प्रवेश हेतु वरीयता/अधिमान तथा सैन्य अकादमी में चयन हेतु शिथिलता/वरीयता प्रदान की जाती है एवं एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण पत्र धारक हेतु इंजीनियरिंग व मेडिकल जैसे व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में नियमानुसार आरक्षण उपलब्ध रहता है। एन.सी.सी. का 'बी' एवं 'सी' प्रमाण पत्र कोर्स क्रमशः 01 व 02 वर्ष के है। अतएव स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तक के विद्यार्थी NCC में भर्ती होने हेतु आवेदन कर सकते है।
3. **राष्ट्रीय सेवा योजना –** इसके अन्तर्गत समाज सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे श्रमदान, पर्यावरण सम्बन्धी कार्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता सम्बन्धी कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जाते है। वर्तमान में महाविद्यालय में एन.एस.एस. की 03 (एक छात्र एवं दो छात्रा) इकाईयां कार्यरत है।
4. **रोवर एवं रेंजर्स –** सत्र 1990–1991 में महाविद्यालय में स्काउट गाइड कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया है। इस हेतु रोवर्स तथा रेजर्स दोनों की इकाईयों को गठन किया जाता है। इच्छुक छात्र/छात्रायें इसका लाभ उठा सकते है। समय–समय पर 'प्रादेशिक समागम' का आयोजन किया जाता है। जिसमें प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाते है। प्रमाण पत्र धारकों को सेवायोजन तथा सामाजिक/साहसिक व्यवसायों में वरीयता/अधिमान दिया जाता है।

नोट–छात्र–छात्रा भलीभांति अवगत हों कि अस्वस्थता, क्रीड़ा प्रतियोगिता, एन.सी.सी. कैम्प–आर्मी एटैचमेंट तथा एन.एस.एस. कैम्प आदि में भाग लेने के कारण उपस्थिति में मात्र 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है। अतः छात्र–छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे उतने ही क्रियाकलापों में भागी हो जिससे उपस्थिति 10 प्रतिशत की छूट सहित 75 प्रतिशत बनी रहे।

5. मानव संसाधन मंत्रालय एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ***स्वच्छ भारत समर इन्टरनशिप 2018*** प्रारम्भ किया गया है। इसमें सभी छात्र एवं छात्राओं को प्रतिभाग करना है। अतः सभी छात्र एवं छात्राएँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बेबसाइट http://sbsi.mygov.in पर अपना पंजीकरण कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।

6. **सांस्कृतिक परिषद् –** महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं में छुपी साहित्यिक/सांस्कृतिक एवं अन्य ललित कलाओं सम्बन्धी प्रतिभा को अभिव्यक्ति देने एवं महाविद्यालय तथा अन्य उच्चस्तरों पर सम्पन्न होने वाले सांस्कृतिक आयोजनों में महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सांस्कृतिक परिषद का गठन किया जायेगा।

7. **विभागीय परिषदें –** प्रत्येक विभाग के विभागीय परिषद् होती है और उस विभाग के समस्त छात्र/छात्रायें परिषद् के सदस्य होते है। विभागीय परिषद् के तत्वाधान में निबन्ध एवं वाद–विवाद प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य उपयोगी क्रिया कलाप संचालित किये जाते है।

8. **महाविद्यालय पत्रिका –** पत्रिका का उद्देश्य छात्रों में लेखन प्रतिभा का विकास करना है। छात्रों को चाहिए कि आमंत्रित किये जाने पर वे अपनी रचनाएं पत्रिका सम्पादकों को सौंप दें साथ ही सम्पादकों से रचना लेख आदि के लिए उचित परामर्श एवं मार्ग दर्शन भी प्राप्त करें। इस कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले छात्रों को छात्र सम्पादक भी चुना जाता है।

9. **छात्र संघ –** महाविद्यालय में समस्त संस्थागत छात्र–छात्राओं द्वारा छात्र संघ पदाधिकारियों का चुनाव निर्धारित तिथि पर किया जाता है। छात्रसंघ द्वारा छात्र हित में महाविद्यालय को सहयोग प्रदान करते हेतु प्रतिवर्ष एक छात्रसंघ समारोह आयोजित किया जाता है। छात्रसंघ पदाधिकारी यदि वर्ष के द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम् सेमेस्टर में किन्हीं भी कारणों से प्रवेश हेतु योग्य नहीं है, तो उसकी पदधारिता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

10. **केन्द्रीय पुस्तकालय –** महाविद्यालय में 70,000 के लगभग पाठ्य पुस्तकों, सन्दर्भ ग्रन्थों एवं शोध जनरल्स से सुसज्जित पुस्तकालय है। जिसको छात्र/छात्राओं की सुविधा हेतु विज्ञान खण्ड एवं वाणिज्य कला खण्ड में विभाजित किया गया है। सत्र 2003–2004 से परास्नातक स्तर पर विभागीय पुस्तकालय की सुविधा प्रारम्भ की गयी है। सम्प्रति भौतिक

विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं हिन्दी विभाग में यह सुविधा उपलब्ध है। छात्र–छात्राओं की सुविधा हेतु सम्प्रति पुस्तकालय का विज्ञान खण्ड विज्ञान संकाय परिसर में स्थित है। महाविद्यालय पुस्तकालय प्रत्येक कार्यदिवस को पूर्वाहन 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक खुला रहता है। छात्रों को 10:30 बजे से 02 बजे अपराह्न तक पुस्तक निर्गत की जाती हैं। पुस्तकें प्राप्त करते समय विद्यार्थी को स्वयं अपना पुस्तकालय पत्रक प्रस्तुत करना होगा इसके बिना पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेगी। पत्रक सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी। यदि पत्रक खो जाता है तो सम्बन्धित विद्यार्थी द्वारा इसकी सूचना पुस्तकालयाध्यक्ष को देनी चाहिए। सम्बन्धित विषय में पुस्तकों की उपलब्धता तथा छात्र संख्या के आधार पर छात्र–छात्राओं को 2 से 4 तक पुस्तकें निर्गत की जाती है। पुस्तकालय द्वारा मांग जाने पर विद्यार्थी को पुस्तकें तत्काल वापस करनी होगी। पुस्तकों को सुरक्षित रखना विद्यार्थी की जिम्मेदारी होगी। यदि कोई पुस्तक फट जायें, गन्दी हो जाय या किसी भांति नष्ट हो जाय तो उस दशा में विद्यार्थी को पुस्तक का 20% अधिक मूल्य जमा करना होगा। विद्यार्थी को निर्गत पुस्तकें परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व लौटानी होगी। विद्यार्थियों को केवल उनके विषयों एवं कक्षा से सम्बन्धित पुस्तकें ही निर्गत की जाती है। पुस्तकें वापस न करने पर महाविद्यालय कानूनी कार्यवाही के लिए विवश होगा।

11. **वाचनालय (रीडिंग रूम)** – छात्रों के लिए दैनिक पत्र एवं पत्रिकाएं पढ़ने व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र–पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। वाचनालय में मुख्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पुस्तक पत्रिकायें व अन्यान्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
12. **छात्र कल्याण–शुल्क मुक्ति** – निर्धन एवं मेधावी छात्रों को नियमानुसार शुल्क मुक्ति प्रदान की जाती है। शुल्क मुक्ति उसी दशा में जारी रहेगी जबकि छात्र की प्रगति निरन्तर सन्तोषप्रद, अध्ययन नियमित, आचरण उत्तम तथा प्रत्येक माह में उपस्थित कम से कम 75 प्रतिशत हो। प्राचार्य को किसी समय बिना कारण बताये इस सुविधा को समाप्त करने का अधिकार है।
13. **छात्रवृत्तियां एवं अनुदान** – महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को विभिन्न स्रोतों से समय–समय पर छात्रवृत्तियां एवं अनुदान प्रदान किये जाते हैं। छात्रवृत्तियों/अनुदानों हेतु अर्हता, आवेदन पत्र प्राप्ति, जमा करने की तिथि आदि छात्र–छात्राओं को दी जाने वाली कतिपय छात्रवृत्तियां निम्नवत् हैं।

1. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति एवं अल्प आय वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए छात्रवृत्ति।
2. बर्सरी छात्रवृत्ति

3. प्रतिरक्षा सेवा छात्रवृत्ति
4. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
5. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति
6. ग्रामीण क्षेत्र छात्रवृत्ति
7. विकलांग छात्रवृत्ति
8. उत्तराखण्ड प्रदेश छात्र कल्याण निधि से वित्तीय सहायता

14. रेलयात्रा सुविधा – महाविद्यालय में नियमित छात्र–छात्राओं को रेल किराये में छूट नियमानुसार रेल विभाग द्वारा दी जाती है। छूट प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अपने प्रस्थान के दिन कम से कम 30 दिन पूर्व आवेदन पत्र सम्बन्धित प्रभारी को दे देना चाहिए। रेल यात्रा छूट के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों को विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए। यह छूट

(क) परिवर्तनीय नहीं होगी अर्थात् सुविधा आवेदक छात्र/छात्रा को ही प्राप्त होगी।

(ख) दीर्घकालीन अवकाश में ऋषिकेश से स्थाई निवास एवं स्थाई निवास से ऋषिकेश आने तक दी जाएगी। भारतीय विश्वविद्यालयों के शैक्षिक परिषद् संघ द्वारा आयोजित शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं खेलकूद के लिए यात्रा हेतु दी जाएगी।

(ग) शैक्षणिक भ्रमण अथवा ऐतिहासिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों पर भ्रमण के लिए यात्रा हेतु दी जायेगी।

(घ) किसी भी आपातकालीन सेवाओं में यात्रा हेतु दी जायेगी।

15. अनुशासन सम्बन्धी नियम –शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। शास्ता मण्डल के संयोजक मुख्य शास्ता (Chief Proctor) होता है, जिन्हें सहयोग करने हेतु प्रत्येक संकाय में एक–एक उप मुख्य शास्ता तथा सहायक शास्ता होते है। महाविद्यालय में समस्त प्रध्यापक पदेन शास्ता मण्डल के सदस्य होते हैं शास्ता मण्डल द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिए अनिवार्य है। अनुचित आचरण करने/नियमों का उल्लंघन करने पर शास्ता मण्डल सम्बन्धित विद्यार्थी को दण्डित कर सकता है। महाविद्यालय परिसर में किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में न लें और बल प्रयोग न करें। यदि कोई शिकायत हो तो शास्ता मण्डल को लिखित सूचना दें। ताकि मामले की छानबीन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य अपराध :

1. महाविद्यालय में किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर व्यक्त करना।
2. महाविद्यालय में आये किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।

3. कक्षाओं में शिक्षण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग करना अथवा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिसमें शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुँचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिए प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका हैं।)
7. परिसर में किसी राजनीतिक या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार–प्रसार या प्रदर्शन करना।
8. जाली हस्ताक्षर, झूठा प्रमाण पत्र या झूठा बयान प्रस्तुत करना।
9. शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करना अथवा मानने से इन्कार करना।

निषेध :

1. महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थो का सेवन करना।
2. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों आदि पर लिखना, थूकना अथवा गन्दा करना और उन पर विज्ञापन/इश्तहार लगाना।
3. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना/क्षति पहुंचाने का प्रयास करना।
4. **छात्राओं को जीन्स एवं टॉप पहनकर तथा छात्रों को कमीज (शर्ट) का बटन खोलकर महाविद्यालय परिसर में आना निषेध है।**
5. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई–झगड़ा एवं मारपीट करना, अनायास शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना।
6. कक्षाओं में च्युंगम पान मसाला, मोर्बाइल फोन आदि का प्रयोग करना।
7. महाविद्यालय के अधिकारी/शास्ता मण्डल/प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय पत्र मांगने पर इन्कार करना।
8. जो भी विद्यार्थी उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको निलम्बित, अर्थदण्ड एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा महाविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है।

अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम –

1. प्रत्येक छात्र–छात्रा के पास परिचय पत्र का होना आवश्यक है। जिसे वे प्रतिदिन महाविद्यालय में अपने साथ लेकर आयेंगे। अगर जांच के दौरान परिचय पत्र नहीं पाया गया तो वह महाविद्यालय में प्रवेश से वर्जित होगा। परिचय पत्र के खोने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डुप्लीकेट परिचय पत्र मुख्य शास्ता से प्राप्त कर लें।

   परिचय पत्र परिसर में कभी भी मांगा जा सकता है। परिचय पत्र के खो जाने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डुप्लीकेट परिचय पत्र मुख्य शास्ता से प्राप्त कर लें।

2. महाविद्यालय परिसर में रैगिंग (किसी भी रूप में) पूर्णतया प्रतिबन्धित है। रैगिंग में संलिप्तता की दशा में कठोरतम कार्यवाही, भारी जुर्माना तथा न्यायालय में मुकदमा भी चलाया जा सकता हैं
3. जिन छात्रों की गतिविधियाँ शास्ता मण्डल/महाविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय हैं, उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता है। उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
4. महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जायेगा। ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वतः एवं तथ्यतः निष्कासित हो जाएगा।
5. दुराचरण एवं उद्दण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।
6. **महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी अनिवार्य रूप से विद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रेस में आयें।**

रैगिंग–एक कानूनन अपराध :–

माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को संज्ञेय अपराध माना है और इसे रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किये हैं कि प्रत्येक शिक्षण संस्था एक रैगिंग विरोधी समिति गठित करे जो कि रैगिंग जैसे अमानवीय, असामाजिक एवं आपराधिक कृत्य पर अपराधी को दण्डित करना सुनिश्चित करे।

रैगिंग जैसे जघन्य अपराध को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ सख्त नियम तैयार किये है। इसके तहत रैगिंग में लिप्त पाये गये विद्यार्थियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही और ढाई लाख रूपयें तक के जुर्माने का प्रावधान है। संस्थान की रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दोषी पाये जाने पर अपराध की गम्भीरता के अनुसार विद्यार्थी के विरूद्ध निम्न कार्यवाही की जा सकती है–(1) संस्थान से निलम्बन एवं निष्कासन, (2) प्रवेश निरस्त किया जाना, (3) शैक्षिक सुविधाओं का वापस लिया जाना, (4) छात्रावास से निष्कासन, (5) किसी समय विशेष के लिए किसी अन्य संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाना, (6) न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना आदि।

रैगिंग का तात्पर्य है कि लिखकर, बोलकर, हाव–भाव दिखाकर अथवा शारीरिक क्रिया से किसी छात्र–छात्रा को कष्ट पहुंचाना, भौतिक रूप से प्रताड़ित करना, नवागन्तुक एवं अपने से कनिष्ठ छात्र–छात्राओं को डराना, धमकाना, हतोत्साहित करना, उनके क्रियाकलापों में अवरोध पैदा करना, परेशान करना, मानसिक क्लेश पहुँचाना, उन्हें ऐसे कृत्य करने के बाध्य करना जिन्हें वे सामान्य दशा में भी नहीं करते हैं अथवा जिन्हें करके वे शर्मिन्दित होते हों दुःखी होते हो और ऐसा करके उनके भौतिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता हो तथा रैगिंग जैसे दुष्कृत्य को प्रेरित करना उक्त सभी कृत्य रैगिंग के अन्तर्गत माने गये है।

रैगिंग जैसे दृष्कृत्य में स्वयं लिप्त न रहने तथा प्रेरित करने से विरत रहने हेतु प्रवेशार्थी एवं उनके संरक्षक को संलग्न शपथ पत्र को हस्ताक्षरित कर प्रवेश आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

पुरूष छात्रावास

छात्रावास प्रवेश नियमावली (2019–2020)

महाविद्यालय का पुरूष छात्रावास ऋषिकेश नगर के मुख्य बाजार में नीरज भवन होटल के समीप, रेलवे रोड पर स्थित है, जिसकी महाविद्यालय से दूरी लगभग 2.5 किमी है। पुरुष छात्रावास में छात्रों के रहने/ठहरने हेतु स्वच्छ एवं हवादार कमरे उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मूलभूत सुविधाओं जैसे कॉमन रूम, टेलीविजन, डाइर्निंग हॉल, रसोईघर, बैडमिण्टन कोर्ट, पार्किंग, शुद्ध एवं ठण्डा पेयजल इत्यादि की व्यवस्था है। महाविद्यालय छात्रावास की अधिकतम अन्तर्ग्रहण क्षमता 126 छात्रों की है।

1. महाविद्यालय के पूर्णकालिक छात्र ही छात्रावास में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
2. दूरस्थ एवं निर्धन छात्रों को छात्रावास प्रवेश में वरीयता दी जायेगी। दूरी अथवा अन्य बातें समान होने पर पिछली उत्तीर्ण परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा।
3. छात्रावास में प्रवेश केवल एक शिक्षण सत्र के लिए मान्य होगा। प्रत्येक शिक्षण सत्र के प्रवेश हेतु पुनः आवेदन करना होगा। पुनः प्रवेश गतवर्ष के आचरण व परीक्षाफल पर आधारित होगा तथा पुनः प्रवेश आवेदन अस्वीकार भी किया जा सकता है।
4. सामान्यतः छात्रावास में 90 प्रतिशत स्थान उत्तराखण्डवासियों के लिए आरक्षित है।
5. अन्य राज्यों के छात्रों को पुलिस जांच प्रमाण पत्र से संतुष्ट होने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।
6. प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा।
7. अनुचित साधन में पकड़े गए तथा अनुशासहीनता के आरोपी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
8. प्रवेश के सम्बन्ध में छात्रावास अधीक्षक/प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।
9. छात्रावास के प्रवेश हेतु आरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के नियमानुसार होगा।
10. किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को छात्रावास में किसी भी कार्यक्रम को करने की अनुमति नहीं होगी।

प्रवेश शुल्क एवं अन्य देयक

प्रवेश शुल्क एवं समस्त देयकों को एक बार में जमा करना होगा।

1.	आवदेन पत्र शुल्क	रु0	50.00
2.	वार्षिक किराया	रु0	2500.00
3.	वार्षिक रख–रखाव	रु0	2000.00
4.	बिजली पानी अग्रिम	रु0	3000.00
		योग	**रू.7550.00**

बिजली–पानी की दरों में वृद्धि या अधिक व्यय होने की दशा में इस मद में वृद्धि की जा सकती है।

छात्रावासियों के लिए सामान्य नियम व निर्देश

1. छात्रावास में प्रतिदिन रात्रि में उपस्थिति ली जाएगी। अधीक्षक की अनुमति के बिना कोई छात्रवासी अनुपस्थित नहीं रह सकता है।
2. छात्रावास से घर या अन्यत्र जाने की लिखित सूचना अधीक्षक को अवश्य देनी होगी। छात्रावासी प्रस्थान–आगमन पंजिका में प्रविष्टि करने के उपरान्त ही छात्रावास (12 घंटे से ज्यादा अवधि के लिए) छोड़ेगा।
3. छात्रावास में बाहरी व्यक्ति (भले ही वह महाविद्यालय का छात्र हो) का प्रवेश वर्जित है।
4. यदि कोई छात्रावासी रात्रि में छात्रावास में नहीं लौट रहा हो तो इसकी पूर्व सूचना भी वह अधीक्षक को देगा।
5. छात्रावासी के कक्ष में कोई भी अन्य बाहरी व्यक्ति नहीं रहेगा।
6. छात्रावासी अपने सामान की स्वयं देखभाल करेगा एवं स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. सभी छात्रावासी किसी बाहरी एवं संदिग्ध व्यक्ति के छात्रावास में प्रवेश पर निगरानी कर सामूहिक दायित्व का निर्वाह करेंगे।
8. छात्रावासियों को सामान्यतः 10 बजे रात्रि तक छात्रावास में उपस्थित हो जाना होगा। यदि किसी कारणवश विलम्ब होना हो तो पूर्व सूचना अधीक्षक अथवा अनुदेशक को देनी पड़ेगी।
9. छात्रावास कक्ष के खिड़की के शीशे, फर्नीचर, पंखे, लाइट आदि की सुरक्षा की जिम्मेदारी कक्षों में रहने वाले सभी छात्रावासियों की होगी तथा नुकसान की भरपाई भी उन्हीं को सामूहिक रूप से करनी होगी।
10. किसी भी विद्युत उपकरण का अनाधिकृत उपयोग एवं विद्युत लाइन से छेड़–छाड़ वर्जित है इसका पालन न करने पर छात्रावासी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। विद्युत हीटर, प्रेस आदि का प्रयोग वर्जित है।
11. छात्रावासी, छात्रावास में किसी भी प्रकार के हथियार, मादक वस्तुओं या अन्य अवैध सामग्री न तो रखेंगे न ही उसका प्रयोग करेंगे।
12. छात्रावासी किसी प्रकार के शोर या ध्वनि प्रदूषण यन्त्रों से अन्य छात्रों के अध्ययन में बाधा नहीं डालेंगे।
13. छात्रकक्षों में भोजन नाश्ता, चाय आदि बनाने की अनुमति नहीं है। इस कार्य के लिए छात्रावासी रसोई घर का प्रयोग करेंगे।
14. छात्रावास कक्षों, स्नानगृहों, शौचालय, छात्रावास की दीवारों, फर्श, परिसर आदि की स्वच्छता बनाए रखना सभी छात्रावासियों का सामूहिक उत्तरदायित्व है।
15. आगन्तुको/अभिभावकों से छात्रावासी आगन्तुक कक्ष/कॉमन रूप में ही मिल सकेंगे।
16. छात्रावास कक्षों तथा परिसर में कोई भी सभा या बैठक करना पोस्टर लगाना वर्जित है।
17. छात्रावासी अपनी समस्याओं से सीधे अधीक्षक या उपाधीक्षक को अवगत कराएगें।

18. मुख्य परीक्षा समाप्ति पर छात्रावासी को दो दिन के अन्दर छात्रावास कक्ष खाली कर देना होगा जिससे ग्रीष्मावस्था में कक्ष का रख–रखाव ठीक किया जा सके।
19. छात्रावासी सीधे छात्रावास अधीक्षक के नियन्त्रण में रहेगा। आज्ञा पालन न करें, बार–बार अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीनता करने व समय–सारिणी का पालन न करने वाले छात्रावासियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है तथा बीच सत्र में भी छात्रावास से निष्कासन किया जा सकता हैं।
20. छात्रावास में रैगिंग माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित है तथा दण्डनीय अपराध है। यदि कोई भी छात्रावासी रैगिंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संलिप्त पाया जाता है अथवा रैगिंग को बढ़ावा देता है तो उसके विरूद्ध दण्डनीय कार्रवाई किये जाने के साथ–साथ महाविद्यालय एवं छात्रावास से निष्कासित किया जायेगा।
21. छात्रावास एवं छात्रावासी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार छात्रावास अधीक्षक एवं प्राचार्य का हैं।
22. छात्रावासी, छात्रावास के संचालन हेतु नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सलाह एवं निर्देश/आदेशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
23. आते–जाते समय छात्रावासी गेट स्वतः बन्द करके जायेगें।
24. कॉमन रूम रात्रि दस बजे बन्द कर दिया जायेगा।
25. आबंटित कमरे का परिवर्तन नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में कमरा परिवर्तनीय होगा।
26. जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत छात्रावास के छत पर जाना प्रतिबन्धित हैं
27. कोई भी छात्रावासी छात्रावास में लगे जल आपूर्ति पाइप लाइन, बल्ब, विद्युत तार इत्यादि से छेड़–छाड़ नहीं करेगा।
28. कोई भी छात्रावासी रात्रि में छात्रावास के चार दिवारी या गेट लांघकर न तो वह छात्रावास से बाहर जायेगा न तो अन्दर आयेगा, बल्कि वह छात्रावास अनुसेवक को आकस्मिक कार्य का विवरण देते हुए मुख्य द्वार/गेट का ताला खोलवाकर ही बाहर जायेगा अथवा अन्दर आयेगा।
29. विद्युत बचत व सरंक्षण हेतु प्रत्येक छात्रावासी अपने कक्ष में स्वयं के व्यय पर प्रकाश हेतु सी. एफ.एल. अथवा एल.ई.डी. का प्रयोग करेगा तथा अनावश्यक रूप से पंखें एवं गीजर नहीं चलायेगा। विद्युत संरक्षण छात्रावासियों का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा।
30. छात्रावासी जल बर्बाद नहीं करेंगे बल्कि इसके संरक्षण में योगदान करेंगे।
31. छात्रावासी का अभिभावक/रिश्तेदार/परिचित या कोई भी व्यक्ति रात्री में ठहराव करता है तो उसे 100 रूपये प्रति रात्री के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा।
32. छात्रावास का कोई पूर्व छात्र रात्री ठहराव करता है या प्रतिमाह के हिसाब से रहना चाहता है तो उसे 100 रूपये प्रति रात्री के हिसाब से भुगतान करना होगा।
33. छात्रवास में स्थित महाविद्यालय के गेस्ट हाउस का किराया 400 रूपये प्रतिदिन की दर से देय होगा।
34. छात्रावास में लड़कियों एवं महिलाओं का प्रवेश वर्जित है।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश (देहरादून)। सत्र–2019

क0	नाम	पद नाम	क0	नाम	पद नाम
	रसायन विज्ञान विभाग			**भूगोल विभाग**	
1	**डॉ0 हितेन्द्र सिंह (विभागाध्यक्ष)**	एसोसियेट प्रोफेसर	44	**डॉ0 वेद प्रकाश (विभागाध्यक्ष)**	एसोसियेट प्रोफेसर
2	डॉ0 विभा कुमार	असिसटेंट प्रोफेसर	45	डॉ0 राजेश नौटियाल	एसोसियेट प्रोफेसर
3	डॉ0 सुरेश कुमार	असिसटेंट प्रोफेसर	46	डॉ0 शरद त्रिपाठी	असिसटेंट प्रोफेसर
4	डॉ0 सकुंज राजपूत	असिसटेंट प्रोफेसर	47	डॉ0 किरण त्रिपाठी	असिसटेंट प्रोफेसर
5	डॉ0 किरन डोभाल जोशी	असिसटेंट प्रोफेसर			
6	डॉ0 दयाधर दीक्षित	असिसटेंट प्रोफेसर		**हिन्दी विभाग**	
7	डॉ0 पूरन सिंह खाती	असिसटेंट प्रोफेसर	48	**डॉ0 अल्पना जोशी (विभागाध्यक्ष)**	एसोसियेट प्रोफेसर
8	डॉ0 रूची बडोनी सेमवाल	गेस्ट फैक्लटी	49	डॉ0 नन्द किशोर ढौंडियाल	एसोसियेट प्रोफेसर
	वनस्पति विज्ञान विभाग		50	डॉ0 मुक्ति नाथ यादव	एसोसियेट प्रोफेसर
9	**डॉ0 सुषमा गुप्ता (विभागाध्यक्ष)**	एसोसियेट प्रोफेसर		**राजनीति शास्त्र विभाग**	
10	डॉ0 गुलशन कुमार ढींगरा	एसोसियेट प्रोफेसर	51	**डॉ0 निरंजना शर्मा (विभागाध्यक्ष)**	एसोसियेट प्रोफेसर
11	डॉ0 पूजा कुकरेती	असिसटेंट प्रोफेसर	52	कनिका बडवाल	गेस्ट फैक्लटी
12	डॉ0 अनिल कुमार	असिसटेंट प्रोफेसर	53	कु0 अमिता	गेस्ट फैक्लटी
13	डॉ0 इन्दु तिवारी	असिसटेंट प्रोफेसर		**शिक्षा शास्त्र विभाग**	
14	डॉ0 प्रेम सिंह चौहान	गेस्ट फैक्लटी	54	**श्री अशोक कुमार (विभागाध्यक्ष)**	गेस्ट फैकल्टी
	भौतिक विज्ञान विभाग			**इतिहास विभाग**	
15	**डॉ0 सुमिता श्रीवास्तव (विभागध्यक्ष)**	एसोसियेट प्रोफेसर	55	**डॉ0 ममता नैथानी (विभागाध्यक्ष)**	एसोसियेट प्रोफेसर
16	डॉ0 विजेन्द्र लिंगवाल	एसोसियेट प्रोफेसर	56	डॉ0 रूबी 6तबस्सुम	असिसटेंट प्रोफेसर
17	डॉ0 मृत्युन्जय शर्मा	एसोसियेट प्रोफेसर		**संस्कृत विभाग**	
18	डॉ0 हेमन्त सिंह परमार	असिसटेंट प्रोफेसर	57	**डॉ0 इन्दिरा जुगरान (विभागाध्यक्ष)**	एसोसियेट प्रोफेसर
19	डॉ0 अन्जु सेमवाल	गेस्ट फैक्लटी		**गृहविज्ञान विभाग**	
	जन्तु विज्ञान विभाग		58	**डॉ0 प्रीतम कुमारी (विभागाध्यक्ष)**	असिसटेंट प्रोफेसर
20	**डॉ0 के0एस0नेगी (विभागाध्यक्ष)**	एसोसियेट प्रोफेसर		**संगीत विभाग**	
21	डॉ0 राकेश कुमार	एसोसियेट प्रोफेसर	59	**डॉ0 कलिका काले (विभागाध्यक्ष)**	असिसटेंट प्रोफेसर
22	डॉ0 देवमणि त्रिपाठी	एसोसियेट प्रोफेसर		**समाजशास्त्र विभाग**	
23	डॉ0 अखिलेश कुकरेती	असिसटेंट प्रोफेसर	60	**डॉ0 सीमा पाण्डेय (विभागाध्यक्ष)**	असिसटेंट प्रोफेसर
24	डॉ0 ऋतु कश्यप	असिसटेंट प्रोफेसर	61		
25	डॉ0 स्मिता बसेरा	असिसटेंट प्रोफेसर		**अंग्रेजी विभाग**	
26	उमा पैन्यूली	गेस्ट फैक्लटी	62	**डॉ0 अशोक नेगी (विभागाध्यक्ष)**	एसोसियेट प्रोफेसर
	गणित विभाग		63	डॉ0 सतेन्द्र कुमार	एसोसियेट प्रोफेसर
27	**डॉ0 सविता वर्मा (विभागाध्यक्ष)**	असिसटेंट प्रोफेसर	64	बीना खाती	गेस्ट फैकल्टी
28	डॉ0 प्रीत पाल सिंह	असिसटेंट प्रोफेसर		**अर्थशास्त्र विभाग**	
29	डॉ0 सुजाता	असिसटेंट प्रोफेसर	65	**श्रीमती यशोदा (विभागाध्यक्ष)**	एसोसियेट प्रोफेसर
30	श्वेता पाण्डेय	गेस्ट फैक्लटी	66	डॉ0 एम0पी0नगवाल	एसोसियेट प्रोफेसर
	भूगर्भ विज्ञान		67	डॉ0 गिरीश चन्द्र वेंजवाल	एसोसियेट प्रोफेसर
31	**डॉ0 रामअवतार सिंह (विभागाध्यक्ष)**	एसोसियेट प्रोफेसर			
32	डॉ0 कामिनी पुरोहित जोशी	गेस्ट फैक्लटी		**शारीरिक शिक्षा विभाग**	
33	श्री रूप सिंह राणा	गेस्ट फैक्लटी	68	**डॉ पूनम रावत (विभागाध्यक्ष)**	असिसटेंट प्रोफेसर
	वाणिज्य विभाग				
34	**डॉ0 भरत सिंह (विभागाध्यक्ष)**	एसोसियेट प्रोफेसर	70	डॉ0 हेमलता बिष्ट	गोपेश्वर (सम्बद्व)
35	डॉ0 सतीश चन्द्र पंत	एसोसियेट प्रोफेसर	71	डॉ0 विनय प्रकाश	गोपेश्वर (सम्बद्व)
36	रश्मि नौटियाल	गेस्ट फैकल्टी	72	नेहा कुकरेती	प्रसूति अवकाश
37	ऋषभ सिंह तोमर	गेस्ट फैक्लटी	69	डॉ0 पूनम धस्माना	सम्बद्व
38	मनीषा संगवान	गेस्ट फैक्लटी			
39	नीतिका अग्रवाल	गेस्ट फैक्लटी			
40					
41					
42					
43					

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश (देहरादून)।

सत्र–2019

क0 सं0	नाम	पद नाम	क0 सं0	नाम	पद नाम
	कार्यालय तृतीय श्रेणी कर्मचारी			**प्रयोगशाला अनुसेवक**	
1	श्री रधुवीर लाल पोखरियाल	व0प्र0 अधिकारी	31	श्री दाता राम	अनुसेवक
2	श्री विपेन्द्र नारायण कोटियाल	प्र0अधिकारी	32	श्री सुधीर कुमार रावत	अनुसेवक
3	श्री अमित कुमार	वैयक्तिक सहायक	33	श्री लाल बहादुर	अनुसेवक
4	श्रीमती शकुन्तला शर्मा	वरिष्ठ सहायक	34	श्री कन्हैयाराम	अनुसेवक
5	श्री बलवन्त सिंह नेगी	वरिष्ठ सहायक	35	श्री सतीश चन्द्र	अनुसेवक
6	श्रीमती गुंजन रावत नेगी	कनिष्ठ सहायक	36	श्री प्रताप सिंह राणा	अनुसेवक
	कार्यालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		37	श्रीमती विमला डोभाल	अनुसेविका
7	श्री लक्ष्मण सिंह	अनुसेवक	38	श्रीमती राजेश्वरी	अनुसेविका
8	श्री विनोद कुमार शर्मा	अनुसेवक	39	श्री सत्यपाल सिंह	अनुसेवक
9	श्री ओमप्रकाश	सफाईकार	40	श्री शमशेर सिंह चौहान	संविदा अनुसेवक
10	श्री अशोक कुमार	अनुसेवक	41	श्रीमती प्रियंका	संविदा अनुसेवक
11	श्री टीकाराम चमोली	अनुसेवक	42	श्रीमती रमा बिष्ट	संविदा अनुसेवक
12	श्री रविन्द्र सिंह रावत	अनुसेवक	43	श्री सुनील कुमार	संविदा अनुसेवक
13	श्री रमेश सिंह पुण्डीर	अनुसेवक (उपनल)	44	श्री कल्याण सिंह(सम्बद्व)	संविदा अनुसेवक
14	श्री अनुप सिंह नेगी	अनुसेवक (उपनल)			
	पुस्तकालय तृतीय श्रेणी कर्मचारी				
15	श्रीमती मंजू चौहान	कनिष्ठ सहायक			
16	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	कनिष्ठ सहायक			
	पुस्तकालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी				
17	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	अनुसेवक			
18	श्री अक्षय कुमार राही	अनुसेवक (उपनल)			
19	श्री संजीव कुमार	अनुसेवक (उपनल)			
	प्रयोगशाला सहायक				
20	श्री हर्षदेव	प्रयो0 सहायक			
21	श्री महिपाल सिंह	प्रयो0सहायक			
22	श्रीमती सीता देवी वेदवाल	प्रयो0 सहायक			
23	श्री दीपक लाल	प्रयो0सहायक			
24	श्री गणेश कंसवाल	प्रयो0सहायक			
25	कु0 स्वाति	प्रयो0 सहायक			
26	श्री दीपक सिंह चौहान	प्रयो0सहायक			
27	श्रीमती मुन्नी देवी	प्रयो0सहायक			
28	श्रीमती यशोदा देवी	प्रयो0 सहायक			
29	श्रीमती मन्जु मेहता	इलैक्ट्रिशियन			
30	श्री भुवन चन्द्र डिमरी	सं0प्रयो0सहायक			

कुल गीत

रैम्य ऋषि की तपोभूमि यह, देवभूमि का आगन प्यारा।
जाहनवी की तरल भूमि में, बड़े ज्ञान की धारा।
यहाँ सभी के स्वप्न है पलते, अनगढ़ पत्थर आकार में ढलते।
शिवि, कर्ण सम पंडित मोहन ने, स्वप्न संजोया था इक प्यारा।
दिया दान उर–खोल खजाना, मिटा अशिक्षा का अंधियारा।
स्वप्न फलित हो दानवीर के, रहे सदा संकल्प हमारा।
पावन ज्ञान निकेतन न्यारा .....।
देवभूमि हर अंकुर को ज्ञानामृत में सिंचित करता।
हिमपुत्रें में ज्ञानपिपासा अनुदिन अविरल जाग्रत करता।
जीवन के हर पल में प्रतिफल सतरगी आभा को भरता।
पावन ज्ञान निकेतन न्यारा .....।
विद्याघट अमृत बन छलके, सदा एक ही नारा।
ज्ञान एकता औ अनुशासन में सत्य संकल्प हमारा।
उड़े पराग जब ज्ञान सुमन से, सुरभित हो दिव्यमण्डल सारा।
पावन ज्ञान निकेतन न्यारा .....।
संस्कारों का संवर्द्धन संरक्षण विज्ञान कला का।
गुरु जन के निर्देशन में फहरायें ज्ञान पताका।
सुरसरि के पावन कूलों में मिले प्रेम की धारा।
पावन ज्ञान निकेतन न्यारा .....।
आओ साथी इस आंगन में ज्ञान ज्योति जगमग कर जाये।
देवभूमि के जन गण मन के सारे स्वप्न फलित हो जाये।
समरसता की सुरम्य संस्कृति में मिले विश्व की धारा।
पावन ज्ञान निकेतन न्यारा .....।